25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 806—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—02—2016 के द्वारा तहसीलदार तहसील लहार जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 03/अ—6/85—86.

.....

भूरा पुत्र सूवालाल
निवासी वेशपुरा तहसील
लहार जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1—रामसेवक पुत्र श्री लल्ली
निवासी वेशपुरा तहसील
लहार जिला भिण्ड म0प्र0
2—मंगल पुत्र सूवालाल दत्तक पुत्र मेवालाल
3—रामवीर
4—राजेन्द्र पुत्रगण भूरे
निवासी वेशपुरा तहसील
लहार जिला भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील लहार जिला भिण्ड म0 प्र0 के आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.2.16 को साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे साक्ष्य का समय समाप्त किया गया है इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय की विवादित आज्ञा एवं की गई कार्यवाही कानूनन सही नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि नियत दिनांक को आवेदक की साक्ष्य थी तब पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं थे ऐसी स्थिति में पर्याप्त अवसर दिये जाने का तथ्य अभिलेख के विपरीत होने से प्रार्थी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने में भूल की गई है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी को न्यायहित में प्रकरण के निराकरण हेतु साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिये था। तहसीलदार का आदेश यह आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर समुचित विचार किये बिना ही सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने में भूल की है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। तहसीलदार का आदेश दिनांक 26.2.16 निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह मात्र विलंब करने के उददेश्य से की गई है। विचारण न्यायालय में दिनांक 15.11.16 को बहस हो गई थी, प्रकरण में लिखित बहस भी प्रस्तुत हो गई थी लेकिन प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में आने से आदेश नहीं हो सका । आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालय में भी चली थी उनके द्वारा एक माह में निराकरण करने का आदेश दिया गया था लेकिन

आपत्तिकर्ता ने साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण तहसीलदार द्वारा उनका हक समाप्त कर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने परेशान करने की नियत से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है। बयनामा 40 वर्ष पुराना है तथा 30 साल से नामांतरण की कार्यवाही चल रही है। मात्र विलंब के उददेश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे एवं तहसीलदार द्वारा जो साक्ष्य समाप्त किये गये है उस आदेश को स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक को कई बार साक्ष्य का अवसर दिया गया है उसके बाद भी वह प्रकरण को टाल मटोल करने के उददेश्य से साक्ष्य के लिये वह उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः तहसीलदार द्वारा जो साक्ष्य समाप्त किया गया है वह उचित है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 26.2.16 स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील लहार जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 03/अ–6/85–86 में पारित आदेश दिनांक 26.2.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर